हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
निगरानी/टीए/2005/2231/भीलवाड़ा
गिरधारी वगैरह बनाम कमला वगैरह

5तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख
10—04—26	**एकलपीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित—** श्री महेन्द्र सिंह, ब्रीफ होल्डर अभिभाषक प्रार्थीगण श्री अजित सिंह राठौड़ श्री ओ.एल. दवे, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** **दिनांक—** हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा—230 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 6—4—2005 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। **2—** निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 घघघघ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 05—01—2002 से स्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06—04—2005 के द्वारा प्रार्थीगण की अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। **3—** विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 11—12—2009 प्रस्तुत कर कथन किया किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात बाबत प्रार्थीनी द्वारा सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
निगरानी/टीए/2005/2231/भीलवाड़ा
गिरधारी वगैरह बनाम कमला वगैरह

5तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख
	खण्ड, गंगापुर के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा, स्वतः घोषणा एवं अभिलेख में संशोधन बाबत नियमित वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 29–04–2003 को निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रार्थीनी ने एक अपील अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 एवं सिविल न्यायालय गंगापुर जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की जिसे दिनांक 22–10–2005 को स्वीकार कर प्रार्थी का दावा डिक्री कर दिया। न्यायालय के समक्ष निगरानी अप्रैल 2005 में प्रस्तुत की गई व प्रस्तुत किये जाने वाला निर्णय/डिक्री दिनांक 22–10–2005 को पारित हुआ इसलिए निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं किया जा सका। प्रस्तुत किया जाने वाला निर्णय व डिक्री सक्षम न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपियां है जिनकी सत्यता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। निगरानी के निस्तारण हेतु उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22–10–2005 आवश्यक दस्तावेज है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिए जाते हैं। 4– अभिभाकषक प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि उभयपक्षकारान के मध्य नियमित राजस्व वाद संख्या 27/2003 वास्ते उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अप्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31–12–2003 को निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा धारा 24 घघघघ का प्रार्थना पत्र एवं नियमित वाद निरस्त होने के बाद, सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध विचाराधीन अपील के अंतिम निस्तारण तक स्थगित करने का आदेश पारित करते हुए रिमाण्ड कर दिया एवं निर्देशित किया गया कि सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार उक्त नियमित राजस्व	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
निगरानी/टीए/2005/2231/भीलवाड़ा
गिरधारी वगैरह बनाम कमला वगैरह

5तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख
	वाद का निर्णय पारित किया जाये। जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो माननीय न्यायालय द्वारा एडमिट की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र समरी कार्यवाही की श्रेणी में आता है जिसकी कार्यवाही विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों को नियमित राजस्व वाद के निर्णय तक स्थगित कर देनी चाहिए थी। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र एवं वाद में अंकित खसरा नंबरान बाबत् कथन किया है वाद एवं पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित खसरा नंबर दोनों पृथक–पृथक है। इतना ही नहीं वादग्रस्त आराजी पर आदिनांक अप्रार्थीगण का कोई कब्जाश्त नहीं रहा है। विवादित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी होने से प्रार्थीगण का हक, अधिकार एवं स्वत्व जन्म के साथ ही निहित हो चुका था जिससे कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के हिस्से को विक्रय करने का अधिकार विक्रेतागण को नहीं था फिर भी विवादित आराजी को जबरन हड़पने की कोशिश उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष की जाती रही। उनके द्वारा नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया वहीं विवादित आराजीयात को आबादी भूमि में मानते हुए सिविल वाद प्रस्तुत किया गया, दोनों ही वाद सक्षम न्यायालयों द्वारा निरस्त कर दिए गए। इस तथ्य की जानकारी विचारण न्यायालय को भी थी क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा नियमित राजस्व वाद निरस्त किया गया था, को नजर अन्दाज करते हुए निगरानीधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है, क्योंकि जब एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उद्घोषणा खातेदारी का वाद ही निरस्त हो चुका है तो उसके पक्ष में विवादित आराजीयात अपखण्डन को शुद्ध करते हुए नियमित नहीं की जा सकती। उनका तर्क है कि विवादित आराजीयात बाबत् विद्वान संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष भी अपील विचाराधीन है अर्थात् विवादित भूमि बाबत् धारा 90 (बी) के तहत् कार्यवाही की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में न तो सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित राजस्व वाद अप्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री	

5तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख
	किया जा सकता है एवं ना ही विवादित भूमि को काश्त भूमि मानते हुए धारा 24 घघघघ के तहत् नियमित किया जा सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही भूमि बाबत् उक्त भूमि को आबादी भूमि मानते हुए सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष एवं कृषि भूमि मानते हुए राजस्व न्यायालय के समक्ष नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। इतना ही नहीं अप्रार्थीगण द्वारा धारा 24 घघघघ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमन करवाने का असफल प्रयास किया गया। उनका तर्क यह भी है कि अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी धारा 24 घघघघ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो नियमित राजस्व एवं सिविल वाद विचाराधीन होने की वजह से स्थगित कर दिया गया। उसमें भी प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त समस्त तथ्यों को विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों से छिपाते हुए निगरानीधीन आदेश पारित करवा लिया, जबकि पूर्व प्रार्थना पत्र को री–ओपन नहीं करवाया गया। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं होकर निरस्त किए जाने योग्य था। उक्त सभी तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय में स्थान न देकर निगरानीधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है जिससे कि निगरानीधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। **5–** उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में क्षेत्राधिकार संबंधी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उनमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। **6–** अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
निगरानी/टीए/2005/2231/भीलवाड़ा
गिरधारी वगैरह बनाम कमला वगैरह

5तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख
	पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर (भीलवाड़ा) द्वारा निर्णय दिनांक 05—01—2002 के द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 घ घ घ घ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र (अपखण्डन—Fragmentation की स्वीकृति) को स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध निगराकार/अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06—04—2005 से अपील इस आधार पर खारिज की कि "विक्रय पत्र में राशि के प्राप्त करने एवं कब्जा सुपुर्द करने का उल्लेख करने के पश्चात विक्रेता या विक्रेता के उत्तराधिकारियों को यह अधिकार नहीं है कि वे ही यह कहें कि उन्हें प्रतिफल स्वरूप राशि प्राप्त नहीं हुई है अथवा उन्होंने कब्जा सुपुर्द नहीं किया है। विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दस्तावेज है और उसमें अंकित तथ्यों के विपरीत अपीलाण्ट एंव विक्रेता डाक्टरीन ऑफ एस्टोपल से बाधित है और विक्रय पत्र के विपरीत कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जहां तक विक्रय पत्र के फर्जी होने का संबंध है उसके लिए सक्षम न्यायालय ही कोई समुचित निर्णय पारित कर सकता है और फर्जी विक्रय पत्र को फर्जी घोषित कराने की दादरसी सक्षम न्यायालय से पाने के लिए अपीलाण्ट स्वतंत्र है। मातहत अदालत ने नियम 24 घ घ घ घ में किए गए संशोधनों के अनुरूप अपखण्डन को नियमित करने का जो आदेश पारित किया है, वह साधिकार है और उसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।" अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपर जिला न्यायाधिश संख्या 1 गंगापुर जिला भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 22—1—2005 के अनुसार अप्रार्थीगण की अपील स्वीकार कर उनका वाद डिक्री किया है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के निर्णय दिनांक 05—01—2005 से अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 24 घघघघ राजस्थान काश्तकारी	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
निगरानी/टीए/2005/2231/भीलवाड़ा
गिरधारी वगैरह बनाम कमला वगैरह

5तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख
	अधिनियम स्वीकार कर अपखण्डन को नियमित करने तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि करने में कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। 8— दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी, विधि सम्बन्धी अथवा तथ्य सम्बन्धी कोई तात्विक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अतः हस्तगत निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है। 9— परिणामतः हस्तगत निगरानी याचिका एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्त्र हो। आदेश सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	